This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 08 अक्तूबर, 2025 / 16 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

ENV., SCI., TECHNOLOGY & CC DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th October, 2025

No. STE-F(1)-1/2023.—WHEREAS, in compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in M.C. Mehta Vs. Union of India & Others, Writ Petition (Civil) No.

13029 of 1985, and the order dated 28-03-2019 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in Original Application No. 67 of 2019, this Department had issued a Fuel Policy *vide* Notification No. STE-F(1)-1/2019 dated 18-04-2022, permitting the use of Pet Coke in specified industries as feedstock/fuel subject to certain conditions. It was stipulated that those industries which are unable to comply with the conditions shall shift to alternate clearer fuel within prescribed time limits;

2. WHEREAS, the said notification was amended *vide* Notification No. STE-F(1)-1/2019 dated 01-04-2023 to stipulate that Petcoke shall be permitted as feedstock or fuel only if its Sulphur content does not exceed 7% by weight (on dry basis), determined in accordance with Indian standards;

3. WHEREAS, relaxations permitting Petcoke with sulphur content upto 7.5% were allowed *vide* Notifications of even number dated 12-10-2023 and dated 28-01-2025 in view of the non-availability of compliant Petcoke with sulphur content upto 7.5% in neighbouring refineries and the limited coverage of gas pipeline infrastructure in industrial areas;

4. AND WHEREAS, on culmination of period of relaxation, a draft notification stipulating that Petcoke shall be permitted in the industries only if its Sulphur content does not exceed 7% by weight (on dry basis), was uploaded on the official website of the Department for inviting objections and suggestions from the stakeholders. In response, numerous representations from different Industrial Associations, Cement Industries and Oil Refineries were received objecting to the stipulation of sulphur content not exceeding 7% in Petcoke. These representations were got examined though a Committee headed by the Director, EST & CC and certain recommendations were given by the committee regarding use of Petcoke in the industries as fuel/feedstock.

5. NOW, THEREFORE, in continuation of this Department's aforesaid Notifications dated 18-04-2022, dated 01-04-2023, dated 12-10-2023 and dated 28-01-2025 and further taking into consideration the recommendations of the Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order further relaxation regarding usage of Petcoke having Sulphur content not exceeding 7.5% by weight (dry basis) in all those Industries which are using Petcoke as Fuel till the time the gas pipeline network reaches them or else the Petcoke with 7% Sulphur content by weight (dry basis) is made available in the nearest IOCL or HPCL oil refineries subject to complying to the conditions already stipulated along with additional conditions as under:—

(a) That all such Industries using Petcoke as Fuel shall install advanced pollution control systems such as Flue Gas Desulphurization (FGD) Units, Alkaline Wet Scrubbers and the Electrostatic Precipitators (ESPs) or bag filters for PM reduction etc.

(b) There should be mandatory installation of Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS), in all medium and large-scale units using Petcoke, with direct online connectivity to the Himachal Pradesh State Pollution Control Board (HPSPCB) for real-time compliance monitoring.

(c) There shall be complete prohibition on the storage and use of Petcoke within the Ecologically Sensitive Zones (ESZs), National Parks and Wildlife Sanctuaries.

(d) Compliances shall be ensured by the HPPCB through laboratory analysis conducted in accordance to extant Indian standards.

(e) The HPSPCB shall carry out the scientific analysis of Petcoke using industries in the State and submit report to the Administrative Department (AD) as to whether the industries with 90% reduction of sulphur content upto 7% or 7.5% may be allowed or not in the long run.

(f) The HPSPCB shall also conduct regular monitoring of industries to ensure installation of required pollution control devices as mentioned above, and an Action Taken Report in this regard may be submitted to the AD for taking further necessary action.

6. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Cement Industries using Petcoke as feedstock shall also be permitted upto 7.5% or lesser Suphur content by weight (dry basis) as per availability and also ensure installation of all mandatory pollution control devices to meet the standard emission norms prescribed by the MoEF & CC for them.

This notification shall become effective from the date of issue with immediate effect.

By order,

Sd/-
(SANJAY GUPTA, IAS),
Chief Secretary.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 31 / 2025 तारीख रजुआ : 07–07–2025

श्री रणजीत बिष्ट पुत्र राम देव पुत्र हुकम चन्द, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम उप–महाल खवांगी, जाप्रोदेन व कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप–महाल खवांगी, जाप्रोदेन व कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री रणजीत बिष्ट पुत्र राम देव पुत्र हुकम चन्द, निवासी ग्राम खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल व पहचान पत्र में रणजीत बिष्ट पुत्र राम देव दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख के उप–महालात खवांगी, जाप्रोदेन व कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रणजीत सिंह पुत्र राम लाल पुत्र हुकम चन्द दर्ज / दर्शाया गया है जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थी उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम राजस्व अभिलेख के उप–महालात खवांगी, जाप्रोदेन व कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) में रणजीत सिंह पुत्र राम देव पुत्र हुकम चन्द के स्थान पर रणजीत बिष्ट पुत्र राम देव पुत्र हुकम चन्द दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20–10–2025 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

——————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 32/2025 तारीख रजुआ : 14–07–2025

श्री हकीम चन्द पुत्र स्व0 वंगडुल पुत्र मोती राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम उप–महाल पांगी, खवांटा, मेबर व काशंग ग्रामा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उप–महाल पांगी, खवांटा, मेबर व काशंग ग्रामा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री हकीम चन्द पुत्र स्व0 वंगडुल पुत्र मोती राम, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पेन कार्ड व स्कूल प्रमाण–पत्र में हकीम चन्द पुत्र स्व0 वंगडुल दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख के उप–महालात पांगी, खवांटा, मेबर व काशंग ग्रामा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम हकीम सिंह पुत्र वंगडुल पुत्र मोती राम दर्ज/दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। इस बारे प्रार्थी सभी महालों के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम राजस्व अभिलेख के उप–महालात पांगी, खवांटा, मेबर व काशंग ग्रामा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 में हकीम सिंह पुत्र वंगडुल पुत्र मोती राम के स्थान पर हकीम चन्द पुत्र स्व0 वंगडुल पुत्र मोती राम दुरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20–10–2025 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

——————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 36 / 2025 तारीख रजुआ : 11—09—2025

श्री मंगल सिंह पुत्र स्व0 भीम सैन पुत्र दली, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम उप—महाल रागुरा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती) काश्त व इन्द्राज वाका उप—महाल रागुरा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री मंगल सिंह पुत्र स्व0 भीम सैन पुत्र दली, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि अराजी खाता / खतौनी नं0 150 / 169 व 170, खसरा नं0 188, 665 / 189, 667 / 190, कित्ता 3, रकबा तादादी 00—19—41 है0, उप—महाल रागुरा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 का सम्पूर्ण मालिक दर्ज कागजात माल है। परन्तु खसरा नं0 665 / 189 व 667 / 190, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—17—64 है0 में प्रार्थी की माता श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 भीम सैन दर्ज है जबकि माता श्रीमती जानकी देवी का स्वर्गवास 22 मार्च, 2025 को हो चुका है। अतः प्रार्थी जोकि असल मालिक कागजात माल है उपरोक्त अराजी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी / वादी का नाम राजस्व अभिलेख के खसरा नं0 665 / 189 व 667 / 190, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—17—64 है0 उप—महालात रागुरा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0 में प्रार्थी की माता श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 भीम सैन दर्ज है, के स्थान पर प्रार्थी मंगल सिंह पुत्र स्व0 भीम सैन पुत्र दली का नाम काश्त व कब्जा दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20—10—2025 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 72 / 2025 तारीख रजुआ 03—09—2025

Sushma d/o Late Kambar Sukh, r/o Village Shudarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

विषय.——प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sushma d/o Late Kambar Sukh, r/o Village Shudarang ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 11—06—1977 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sushma d/o Late Kambar Sukh, r/o Village Shudarang का जन्म 11—06—1977 को गांव कल्पा में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22—10—2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 73 / 2025 तारीख रजुआ 03—09—2025

Shakuntla d/o Sh. Deva Sukh, r/o Village Barang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.)

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

विषय.——प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Shakuntla d/o Sh. Deva Sukh, r/o Village Barang ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 17–04–1978 को गांव बारंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव बारंग की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Shakuntla d/o Sh. Deva Sukh, r/o Village Barang का जन्म 17–04–1978 को गांव बारंग में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत बारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–10–2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 75 / 2025 तारीख रजुआ 11–09–2025

Smt. Nanti Devi w/o Sh. Mangal Singh, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

विषय.——प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Nanti Devi w/o Sh. Mangal Singh, r/o VPO Pangi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 16–02–1972 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Nanti Devi w/o Sh. Mangal Singh, r/o VPO Pangi का जन्म 16–02–1972 को गांव कल्पा में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–10–2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 76 / 2025 तारीख रजुआ 11–09–2025

Sh. Dil Bahadur s/o Sh. Gaj Bahadur, r/o Village Omkhala, Tehsil Talli, District Jumla, State Karnali, Nepal, presently residing Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

विषय.––प्रार्थी के पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Dil Bahadur s/o Sh. Gaj Bahadur (नेपाली मूल) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Ashmita का जन्म दिनांक 19–06–2015 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपनी पुत्री Ashmita का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Dil Bahadur s/o Sh. Gaj Bahadur (नेपाली मूल) की पुत्री Ashmita का जन्म 19–06–2015 को गांव कोठी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–10–2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 77 / 2025 तारीख रजुआ 16–09–2025

Sh. Surya Chander s/o Sh. Sant Ram, VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0।

विषय.—–प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Surya Chander s/o Sh. Sant Ram, VPO Pangi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म दिनांक 24–06–1987 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Surya Chander s/o Sh. Sant Ram, VPO Pangi का जन्म 24–06–1987 को गांव पांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–10–2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० 78 / 2025 तारीख रजुआ 16—09—2025

Raveena d/o Sh. Gopal, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता,
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि०प्र०।

विषय.——प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Raveena d/o Sh. Gopal, r/o VPO Pangi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 07—12—1980 को गांव पांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव पांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Raveena d/o Sh. Gopal, r/o VPO Pangi का जन्म 07—12—1980 को गांव पांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22—10—2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार / पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 79 / 2025 तारीख रजुआ : 16—09—2025

1. श्री मंगल सिंह पुत्र स्व0 भीम सैन, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0),
2. श्री शिव लाल पुत्र स्व0 भीम स्त्रसैन, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0

बनाम

1. श्री हरि भगत पुत्र स्व0 भीम सैन, गांव पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0
2. आम जनता जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त बाबत मकफूद—उल—खबरी

हरगाह इश्तहार हजा से आम जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्री मंगल सिंह, श्री शिव लाल पुत्रगण स्व0 भीम सैन, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नोर ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित गुजार रखी है कि उनके बड़े भाई श्री हरि भगत पुत्र स्व0 भीम सैन 1986 से गुम हैं और न ही इस बीच उन्हें कभी भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा गांव में देखा गया है और न ही वह कभी गांव में आए और न ही किसी रिश्तेदारों से सम्पर्क किया जाना पाया गया है। अतः प्रार्थीगण उपरोक्त हरि भगत पुत्र स्व0 भीम सैन की विरास्त इन्तकाल को उनके जायज वारसानों के नाम बजरिया मकफूद—उल—खबरी तस्दीक करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री हरि भगत पुत्र स्व0 भीम सैन व आम जनता गांव पांगी को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त हरि भगत पुत्र स्व0 भीम सैन की विरास्त के इन्तकाल को बजरिया मकफूद—उल—खबरी उनके जायत वारसानों के नाम तस्दीक करने बारे किसी को भी किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है तथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज न काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

—————————

CHANGE OF NAME

I, Hari Kishan s/o Sh. Kamlesh Kumar, r/o Village Dharoti (130), P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) has declared that, I have changed my name from Hari Kishan to Hari Krishan. Please note all concerned for further.

HARI KISHAN
s/o Sh. Kamlesh Kumar,
r/o Village Dharoti (130),
P.O. & Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Arjun Amori s/o Sh. Ganga Ram, r/o Shyam Niwas, Ward No. 12, Sunny Side, Solan (H.P.) has declared that, I have changed my name from Arjun to Arjun Amori. Please note all concerned for further.

ARJUN AMORI
s/o Sh. Ganga Ram,
r/o Shyam Niwas,
Ward No. 12, Sunny Side, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rama Nand s/o Sh. Hari Nand, r/o Village Kanauri (502), P.O. Nagali, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) has declared that, I have changed my minor son's name from Samer to Summer Prasher. Please note all concerned for further.

RAMA NAND
s/o Sh. Hari Nand,
r/o Village Kanauri (502), P.O. Nagali,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Km. Sunita Kumari Gupta w/o Sh. Krishan Kumar Gupta, r/o Village Garkhal (713), P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) has declared that my actual & correct name is Sunita Kumari Gupta but in Aadhar Card my name is incorrect. I want to correct the name in Aadhar, that I have changed my name from Km. Sunita Kumari Gupta to Sunita Kumari Gupta. Please note all concerned for further.

Km. SUNITA KUMARI GUPTA
w/o Sh. Krishan Kumar Gupta,
r/o Village Garkhal (713), P.O. Garkhal,
Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahar Chand s/o Sh. Shankar Dutt, r/o Village Trashri Lohara (78), P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.) has declared that, I have changed my minor son's name from Hatansh Dhiman to Hetansh. Please note all concerned for future.

MAHAR CHAND
s/o Sh. Shankar Dutt,
r/o Village Trashri Lohara (78),
P.O. Deothi, Tehsil and District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naravir Singh s/o Sh. Dalip Singh, r/o Village Banona (165), P.O. Wasni, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) has declared that, I have changed my name from Naravir Singh to Narbir Singh. Please note all concerned for future.

NARAVIR SINGH
s/o Sh. Dalip Singh,
r/o Village Banona (165), P.O. Wasni,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sahil s/o Sh. Sonam Dorje, r/o V.P.O. Chimrath, Tehsil Udaipur, District Lahaul & Spiti (H.P.) that now the deponent intends to correct his daughter's name as Sneha Rana instead of Jigmed Yangchan Zangmo in the all records note it.

SAHIL
s/o Sh. Sonam Dorje,
r/o V.P.O. Chimrath, Tehsil Udaipur,
District Lahaul & Spiti (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Parveen Kumar s/o Sh. Sunka Ram, r/o Village Jajwar, P.O. Lower Ghallour, Tehsil Jawalamukhi, Sub-District Dehra Gopipur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Banshika Sharma to Vanshika for all purposes in future. Please note.

PARVEEN KUMAR
s/o Sh. Sunka Ram,
r/o Village Jajwar,
P.O. Lower Ghallour, Tehsil Jawalamukhi,
Sub-District Dehra Gopipur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Joginder Singh s/o Sh. Anant Ram, r/o Village Bonch, P.O. Koti Bonch, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Sanvi Thakur to Karika Thakur. All concerned please may note.

JOGINDER SINGH
s/o Sh. Anant Ram,
r/o Village Bonch, P.O. Koti Bonch,
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeta Devi w/o Sh. Devender Singh, r/o # 118/4, Mohalla Amarpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar No. 4184 7157 3010, my name was Sanjeta Devi, but now I have changed my name from Sanjeta Devi to Sangeeta Devi. So I may now be known as Sangeeta Devi.

SANJETA DEVI
w/o Sh. Devender Singh,
r/o # 118/4, Mohalla Amarpur,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sagari Devi w/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Muhi, P.O. Kot, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sagri Devi to Sagari Devi for all purposes in future. Please note.

SAGARI DEVI
w/o Sh. Ramesh Chand,
r/o Village Muhi, P.O. Kot,
Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Seema Devi w/o Sh. Inderjeet, r/o Village Kohla Plasari, P.O. Jol Sapper, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have changed my minor daughter's name from Kasish Rana to Kashish Rana for all purposes in future. All concerned please note.

SEEMA DEVI
w/o Sh. Inderjeet,
r/o Village Kohla Plasari, P.O. Jol Sapper,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Narotam Dutt, r/o Village Talao, P.O. Kapahra, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Pari Sharma which should be corrected as Wamika Sharma. Please correct this.

SUNIL KUMAR
s/o Sh. Narotam Dutt,
r/o Village Talao, P.O. Kapahra,
Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक कुमार पुत्र स्व0 श्री राज कुमार, गांव व डा0 लूहना, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी का सही नाम VANSHIKA है परन्तु गलती से उसके आधार कार्ड में उसका नाम VANISHKA दर्ज हो गया है। अतः उसके आधार कार्ड में उसका सही नाम VANSHIKA दर्ज किया जाए।

दीपक कुमार
पुत्र स्व0 श्री राज कुमार,
गांव व डा0 लूहना,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

CHANGE OF NAME

I, Sukhvinder Yashwant Singh s/o Sh. Yashwant Singh, r/o V.P.O. Sangrah, Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Sukhvinder Yashwant Singh to Sukhender Singh. All concerned please note.

SUKHVINDER YASHWANT SINGH
s/o Sh. Yashwant Singh,
r/o V.P.O. Sangrah,
Tehsil Renuka Ji at Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kaushlya Devi w/o Sh. Lal Singh, r/o Village Pando, P.O. Gumma, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H.P.) do herey declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Kalasi. It should be entered as Kaushlya Devi in my Aadhar Card. Concerned please note.

KAUSHLYA DEVI
w/o Sh. Lal Singh,
r/o Village Pando, P.O. Gumma,
Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raj Kumari mother of No. 431998X Sub. Maj. Sanjeev Kumar, r/o V.P.O. Badhera, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Sarla Devi to Raj Kumari vide affidavit No. 550/RI, dated 04-09-2025 before Executive Magistrate Haroli, District Una (H.P.).

RAJ KUMARI
mother of Sanjeev Kumar,
r/o V.P.O. Badhera,
Tehsil Haroli, District Una (H.P.)

CORRECTION OF NAME

I, Surinder Singh s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Trembla, P.O. Meharna, Tehsil and District Kangra (H.P.) declare that my name erroneously recorded as Surinder Kumar in my minor daughter Akashi Pathania Aadhar Card. Whereas my correct name is Surinder Singh. Please amend accordingly.

SURINDER SINGH,
s/o Sh. Pritam Singh,
r/o Village Trembla, P.O. Meharna,
Tehsil and District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sandeep s/o Sh. Shiv Lal, r/o Village Kashmir, P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card bearing No. 5808 8045 6381 his name is wrongly entered as Shivam, which should be corrected as Shubham Kumar. Please correct this.

SANDEEP
s/o Sh. Shiv Lal,
r/o Village Kashmir, P.O. Duni,
Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reena Devi w/o Sh. Anil Kumar, r/o Village Hayun Awal, P.O. Nalyana, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter, bearing No. 9377 5553 5461 her name is wrongly entered as Isha, which should be corrected as Ishu. Please correct this.

REENA DEVI
w/o Sh. Anil Kumar,
r/o Village Hayun Awal, P.O. Nalyana,
Tehsil Dharmpur, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajeev Kumar s/o Sh. Jia Lal, r/o Village Nalwar, P.O. Jukhala, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Rajeev Kumar Sharma to Rajeev Kumar for all purposes in future. All concerned please note.

RAJEEV KUMAR
s/o Sh. Jia Lal,
r/o Village Nalwar, P.O. Jukhala,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Julma Devi s/o Sh. Kashmir Singh, r/o Village Sathmla, P.O. Hari Behna, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 5784 6948 7003, my name is wrongly entered as Julan Devi, which should be corrected as Julma Devi. Please correct this.

JULMA DEVI
s/o Sh. Kashmir Singh,
r/o Village Sathmla, P.O. Hari Behna,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।